**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**राज्य सभा**

अ**तारांकित प्रश्न संख्या-80**

**जिसका उत्तर** 24 नवंबर**, 2014 को दिया जाना है ।**

**विद्युत वितरण अवसंरचना की स्थिति**

**80. श्रीमती जया बच्चनः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत वितरण की घटिया अवसंरचना की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इसे सुधारने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में योजना का इसके लक्ष्यों और अपेक्षित बजट सहित ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) से (घ) :** विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, विद्युत के वितरण का उत्तरदायित्व वितरण लाइसेंसी का होता है । तथापि, राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता देती है । वितरण क्षेत्र को सुधारने के लिए निम्नलिखित के माध्यम से राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है ।

(i) **पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) :** पुनर्गठित एपीडीआरपी को सूचना प्रोद्यौगिकी समर्थ बनाने और वितरण क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 51,577 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय सहित 31.07.2008 को केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया था । इस कार्यक्रम में 30,000 (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 10,000) से अधिक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों-नगरों और शहरों को शामिल किया गया है ।

इस स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएं दो भागों में शुरू की जाती है । भाग 'क' बड़े शहरों (जनसंख्या 4 लाख तथा वार्षिक ऊर्जा इनपुट 350 एमयू) के लिए ऊर्जा लेखा/लेखापरीक्षा और स्काडा हेतु सूचना प्रोद्योगिकी सक्षम प्रणाली स्थापित करने के लिए है जबकि भाग 'ख' नियमित वितरण उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं के लिए है । आरंभ में दोनों भागों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए निधियां ऋण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। भाग 'क' परियोजनाओं के लिए ऋण की समग्र राशि को परियोजना के पूरा होने पर अनुदान के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा और भाग 'ख' परियोजनाओं के ऋण का 50% (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90%) तक का भाग स्थाई आधार पर परियोजना क्षेत्र में 15% एटी एंड सी हानि होने पर अनुदान में परिवर्तित कर दिया जाएगा । भाग 'क' और भाग 'ख' दोनों परियोजनाओं के लिए पूर्णता अवधि मंजूरी की तारीख से 5 वर्ष है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत् 1412 नगरों को शामिल करते हुए 39,252 करोड़ रुपए के मूल्य की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है ।

(ii) **राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) :** भारत सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए की पूंजी सब्सिडी के साथ देश में सभी घरों को बिजली की पहुंच उपलब्ध करवाने के लिए 10वीं योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरूआत की थी । इस स्कीम को 34,000 करोड़ रुपए की पूंजी सब्सिडी के साथ 11वीं योजना में जारी रखा गया था । भारत सरकार ने 35,447 करोड़ रुपए की पूंजी सब्सिडी के साथ 12वीं और 13वीं योजना में आरजीजीवीवाई को जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है ।

अब तक देश में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत दिनांक 31.10.2014 तक 1,08,703 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण, 3.12 लाख आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों का तीव्र विद्युतीकरण और 2.20 करोड़ बीपीएल घरों को बिजली के कनेक्शन जारी किए गए हैं ।

इसके अतिरिक्त 23,578.29 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर 12,468 गैर-विद्युतीकृत गांवों 2,31,935 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों और 133.2 लाख बीपीएल घरों को शामिल करते हुए आरजीजीवीवाई की 12वीं योजना के दौरान 273 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है ।

(iii)  **राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) :** भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान वितरण क्षेत्र में अवसंरचना को सुधारने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर किए गए पूंजी कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों वितरण कंपनियों (डिस्कामों) द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी देने के लिए जुलाई, 2012 में राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी स्कीम) की शुरूआत की थी । राष्ट्रीय विद्युत निधि 2 वर्षों अर्थात् 2012-13 और 2013-14 के दौरान मंजूर की गई वितरण स्कीमों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की राशि तक के ऋण वितरण के 14 वर्षों बाद 8,466 करोड़ रुपए की कुल ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करवाएगी। पात्रता हेतु पूर्व शर्तें राज्यों द्वारा किए गए सुधार उपायों से जुड़ी होती हैं और ब्याज सब्सिडी की राशि सुधारों से जुड़े पैरामीटरों की प्रगति से जुड़ी होती हैं ।

\*\*\*\*\*\*\*\*